संख्या- 7/2020/294/63-व0उ0-2020-56(एच)/2019

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2020

विषयः- **"उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-2017" के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया /दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017, अधिसूचना सं0-236/63-व0उ0-2018-155 (एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है तथा पत्र सं0-344/63-व0उ0- 2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की कियान्वयन योजना का शासनादेश निर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 के प्रस्तर 2.2 एवं 2.4 तथा क्रियान्वयन योजना के उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.19, 6.20 एवं 6.21 में वर्णित घटकों के सम्बन्ध में टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1	वित्तीय सहायता का विवरण	1. टेक्सटाइल पार्कों हेतु अनुमन्य सुविधाओं का घटकवार विवरण निम्नवत् है:- a. घटक-6.19 टेक्सटाइल औद्योगिक अस्थानों/पार्को हेतु भूमि लागत ब्याज उपादान b. घटक-6.20 आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज उपादान c. घटक-6.21 टेक्सटाइल पार्को/अस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/ हास्टल/ डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान।
1.1	टेक्सटाइल औद्योगिक अस्थानों/ पार्को हेतु भूमि लागत ब्याज उपादान (घटक-6.19)	1. टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर को छोडकर शेष उ0प्र0 में अनुमन्य होगी। II. प्रतिपूर्ति की धनराशि-देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत 7 वर्षों तक देय होगी। नोटः- वार्षिक ब्याज के आगणन में दण्डात्मक ब्याज (Penal interest) को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। III. ''भूमि लागत ब्याज उपादान'' भूमि क्रय के दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.2	आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं विकास के विकास हेतु ब्याज उपादान (घटक-6.20)	1.	टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक देय होगी। नोट:- वार्षिक ब्याज के आगणन में दण्डात्मक ब्याज (Penal interest) को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
		II.	ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रू0 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा रू0 50 करोड़ तक देय होगी।
		III.	ई.टी.पी., प्रशिक्षण केन्द एवं परीक्षण प्रयोगशाला भी इस उपादान के लिये योग्य होंगे।
1.3	टेक्सटाइल पार्कों/अस्थानों में हेतु स्टाफ क्वार्टर/ हास्टल/ डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान (घटक-6.21)	1.	टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर को छोडकर शेष उ0प्र0 में अनुमन्य होगी।
		II.	यह सुविधा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के समीपीय क्षेत्र में होगी।
		III.	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु जमीन की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जायेगी।
		IV.	प्रतिपूर्ति की धनराशि देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगी। नोट:- वार्षिक ब्याज के आगणन में दण्डात्मक ब्याज (Penal interest) को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
		V.	ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रू0 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान अथवा प्लग एण्ड प्ले के क्षेत्र में होंगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा रू0 30 करोड़ तक देय होगी।
2	पात्रता की शर्तें	1.	एस0पी0वी0 सम्बन्धी पात्रता:- a. टेक्सटाइल पार्क में एक प्रयोजन तन्त्र (special purpose vehicle) अनिवार्य रूप से होगा, जो टेक्सटाइल पार्क का मुख्य प्रवर्तक होगा। b. एस0पी0वी0 के गठन में स्थानीय उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक निगमों तथा राज्य सरकार की अन्य एजेन्सियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। c. यह एस0पी0वी0 एक निगमित निकाय के रूप में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगा।
		II.	भूमि सम्बन्धी पात्रता:- a. टेक्सटाइल पार्क न्यूनतम 25 एकड क्षेत्रफल की भूमि पर स्थापित हो। b. टेक्सटाइल पार्क हेतु भूमि का पंजीकरण एस0पी0वी0. के नाम पर होना चाहिए। c. एस0पी0पी0 द्वारा भूमि की खरीद अथवा लीज के माध्यम से भूमि की व्यवस्था न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

d. पार्क हेतु चयनित भूमि हर मौसम हेतु उपयुक्त हो तथा पूर्व से विद्यमान ऐसी सड़क से जुड़ी हो, जो कम से कम 18 मीटर चैड़ी हो एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था हो।

e. ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवश्यकतानुसार भूमि एस.पी.वी. द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

f. एस.पी.वी. द्वारा पुलिस स्टेशन एवं फायर स्टेशन हेतु भी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

III. इकाईयों की स्थापना सम्बन्धी पात्रता:-

a. पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों की न्यूनतम संख्या 25 होगी।

b. टेक्सटाइल पार्क में किसी एक इकाई को आवंटित भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल कुल आवंटन भूमि के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

IV. डी0पी0आर0 सम्बन्धी पात्रता:-

a. यदि वित्तीय सुविधाओं हेतु एस0पी0वी0 द्वारा पहली बार आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस स्थिति में डी0पी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- आवेदन-पत्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात उत्तरोत्तर दावा वर्षों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के साथ डी0पी0आर0 संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि किन्हीं कारणोंवश डी0पी0आर0 को संशोधित/परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संशोधित डी0पी0आर0 को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

b. डी0पी0आर0 में तथ्यों का विवरण औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

c. डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्ययोजना का समयबद्ध क्रियान्यन सुनिश्चित किया जायेगा।

- वित्तीय सहायता की पहली किश्त जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर टेक्सटाइल पार्क का प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया जायेगा।

V. न्यूनतम साझा सुविधाओं सम्बन्धी पात्रता:-

a. पार्क में न्यूनतम साझा सुविधाओं यथा एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट पार्क (ETP) एवं पेयजल, वर्षाजल संचयन, ट्रक सीवेज लाइन पार्किंग एवं अन्य प्रचालन तंत्र आदि सुविधा अनिवार्य रूप से एस0पी0वी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी हो।

b. एसपीवी अपना स्वयं का मलजल निस्तारण प्रणाली निर्मित करेगी अथवा ट्रंक सीवेज लाइन तक पहुँच सुनिश्चित करेगी।

c. स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमैट्री के निर्माण हेतु वित्तीय सुविधा उसी स्थिति में दी जायेगी, जबकि निर्मित भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग की भी समुचित व्यवस्था होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		VI.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पात्रता:- a. टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण लेना होगा।
		VII.	टेक्सटाइल पार्क में निवेश की पात्र अवधि सम्बन्धी पात्रता:- a. बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति/वितरण की तिथि 13.07.2014 अथवा उसके पश्चात की हो।
		VIII.	ऋण की किश्तें समय से चुकाने सम्बन्धी पात्रता:- a. ऋण प्राप्त करने के उपरान्त एस0पी0वी0 द्वारा किश्तों के भुगतान में चूक न की जाये। अर्थात् किश्त भुगतान के परिप्रेक्ष्य में एस0पी0वी0 डिफाल्टर की स्थिति में न हो।
3	आवेदन की प्रक्रिया	IV.	टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं हेतु शासनादेश सं0- 344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 में निर्धारित प्रारूप प्रारूप-6 एवं 7 निर्धारित है।
		V.	प्रारूप-6 Letter of Comfort के आवेदन हेतु निर्धारित है तथा प्रारूप-7 वित्तीय सुविधाओं के वितरण के लिए आवेदन हेतु निर्धारित है।
		VI.	एस0पी0वी0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
		VII.	टेक्सटाइल पार्क हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं हेतु एस0पी0वी0 द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में एक बार ही आवेदन किया जाएगा।
4	आवेदन-पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज़		
4.1	प्रारूप-6 पर आवेदन-पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज	I.	टेक्सटाइल पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
		II.	समस्त अनुसूचियों सहित लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्तीय वर्ष के साथ-साथ पिछले तीन वर्ष)
		III.	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र
		IV.	सकल ब्लाक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित प्रति
		V.	शपथ-पत्र (रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक-1 के अनुसार)
4.2	प्रारूप-7 पर आवेदन-पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज	I.	पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़ क्रय मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री) a. हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी का प्रमाण b. रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती c. यदि नीलामी में यू0पीएस0आई0डी0सी0/औद्योगिक विकास प्राधिरणों/अन्य विकास प्राधिकरणों/बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख। d. निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाहय परामर्शदाताओं/सी0ए0 फर्मों द्वारा तैयार ले-आउट प्लान और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लागत अनुमान तथा साविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत

e. स्कूटनी/वेरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2014 के क्रियान्वयन हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।

f. नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र

g. नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/ इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आख्या

II. भूमि लागत ब्याज उपादान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़

a. भूमि क्रय एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज

b. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार

c. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

d. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट

III. अवस्थापना ब्याज उपादान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़

a. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार

b. अवस्थापना सुविधाओं के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र

c. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

d. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित

e. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट

5 आवेदन-पत्र का प्रसंस्करण

5.1 प्राप्त आवेदन-पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें

I. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन-पत्र की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन त्रि-सदस्यीय परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।

II. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त आवेदन-पत्र को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5.2	मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रक्रियायें	I.	मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
		II.	राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त टेक्सटाइल पार्क हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव षासन स्तर पर गठित शासकीय स्वीकृति कमेटी के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
		III.	शासकीय स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय सहायता की धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा एस0पी0वी0 के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
6	आवेदन-पत्र के प्रसंस्करण हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित कमेटियों की सदस्य संरचना		
6.1	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	अधिशाषी अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 - सदस्य
		II.	प्रबन्धक, सम्बन्धित निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सहायक निदेशक, सम्बन्धित वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी - सदस्य अथवा
		III.	परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- संयोजक
6.2	राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय - अध्यक्ष
		II.	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग - सदस्य
		III.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर- सदस्य
		IV.	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर- सदस्य
		V.	निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान- सदस्य कानपुर
		VI.	प्रबन्ध निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर ,कानपुर -सदस्य
		VII.	वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0- सदस्य
		VIII.	संयक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0-सदस्य
		IX.	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0- सदस्य
6.3	शासकीय स्वीकृति कमेटी सदस्य संरचना	I.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 की शासन-अध्यक्ष
		II.	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य
		III.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य
		IV.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन –सदस्य
		V,	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		VI.	सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है-सदस्य
		VII,	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय - संयोजक
		VIII.	पी0एम0ए0 के पदाधिकारी - सदस्य
7	वित्तीय सहायता का निरस्तीकरण एवं देय वित्तीय सहायता की वसूली	I.	निम्नलिखित कारणों के होने पर टेक्सटाइल पार्क हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता निरस्त कर दी जायेगी तथा एस0पी0वी0 को प्रदत्त वित्तीय सुविधा अर्जित ब्याज एवं 10 प्रतिषत दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एस0पी0वी0 की होगी:- a. परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने पर। नोट:- यदि औचित्यपूर्ण कारणों से परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न, तो उस स्थिति में एस0पी0वी0 को परियोजना क्रियान्यन अवधि में विस्तार हेतु अनुरोध (संशोधित डी0पी0आर0 सहित) प्रस्तुत करना होगा। b. वित्तीय सहायता का दुरूपयोग अथवा परियोजना के अपात्र संघटकों हेतु वित्तीय सहायता का उपयोग होने पर।

2- उपरोक्त टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2020/294/(1)63-व0उ0-2020 तदिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश षासन।
5- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, कानपुर ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
9- आयुक्त स्टाम्प/महानिदेशक निबंधक, उत्तर प्रदेश ।
10- अधिषासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
12- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
13- गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in